

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ1(2) ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 2010

जयपुर, दिनांक:-

11 6 AUG 2010

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
राजस्थान।

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत साप्ताहिक
अवकाश के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजनान्तर्गत श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाश गुरुवार को रहता है। गुरुवार के दिन पूर्णतः
अवकाश रहने के कारण पक्के कार्यों पर तराई की व्यवस्था नहीं हो पाती हैं एवं इसके
कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि पक्के कार्यों पर गुरुवार के दिन¹
अकुशल श्रमिकों में से किसी एक श्रमिक को कार्य स्थल पर उपस्थित रखा जाकर उसे
सप्ताह में अन्य दिन साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जावें। इसी प्रकार कार्य पूर्ण होने पर
तराई की आवश्यकता को देखते हुए उस कार्य पर तराई हेतु एक अकुशल श्रमिक का
नियोजन किया जायें जिससे कि कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो सके।

भवदीय,

३२-११४।०
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
समस्त राजस्थान।
 2. EE(v) वेबसाइट पर
अपलोड हेतु।
- परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस